न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा।

विविध वाद सं0—131 / 2020—21

चन्द्रशेखर उपाध्याय वगै0 बनाम राज्य एवं अन्य

आदेश की क्रम एव तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
28/12/22	आवेदक चन्द्रशेखर उपाध्याय, पिता—स्व0 कृष्ण जीवन उपाध्याय, सविता देवी, पति—चन्द्रशेखर उपाध्याय, दोनों साकिन—जोरी कला, थाना—वशिष्टनगर जोरी, हण्टरगंज, चतरा द्वारा मौजा—जोरी कला, खाता संख्या—175, प्लॉट संख्या—948, रकवा—31 डी0 मधे रकवा—7.75 डी0 भूमि के सदंर्भ में अचंल अधिकारी, हण्टरगंज के द्वारा दिनांक—03.07.2020 को पारित आदेश के विरूद्ध अधिवक्ता के माध्यम से विविध वाद से संबंधित आवेदन दायर किया। तदनुसार यह वाद न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा में प्रारम्भ किया गया। उपरोक्त वाद की सुनवाई हेतु न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा द्वारा संबंधित पक्षों को मूल दस्तावेज के साथ उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। प्रथम पक्ष तथा द्वितीय पक्ष द्वारा अपने—अपने पक्ष में लिखित बहस समर्पित किया गया। **प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता अपने लिखित अभिकथन में यह उल्लेखित किया है कि**—''यह है कि साकिन मौजा—जोरी कला, थाना—वशिष्टनगर, जोरी, जिला—चतरा के अन्दर खाता नं0—175, प्लॉट संख्या—948, रकवा—31 डी0 जमीन अपीलार्थी संख्या—01 के दादा शिवभजन उपाध्याय के नाम से सर्वे खतियानी जमीन है, जो अपने जीवन काल तक अपने रैयती जमीन पर फसल लगाकर अपने मशरफ में लाते रहे। यह कि अपीलार्थी संख्या—01 के दादा शिवभजन उपाध्याय अपने दो पुत्र कृष्ण जीवन उपाध्याय, देवकांत उपाध्याय हुए, अपने पिता के मरने बाद शांतिपूर्वक काबिज दखलकार हुए तथा जमीन्दारी उन्मुलन के बाद कृष्ण जीवन	

उपाध्याय के नाम से डिमाण्ड खुलवाकर सरकार के लगान देकर सरकारी मालगुजारी रसीद निर्गत होते रहा। यह कि कृष्णजीवन उपाध्याय एवं देवकांत उपाध्याय के बीच आपस में सहमति से मौखिक रूप से बँटवारा कर लिया। खाता संख्या–175, प्लॉट संख्या–948, रकवा–31 डी0 मध्ये 15 1/2 डी0 जमीन आवेदक अपीलार्थी संख्या–01 के पिता जी को हिस्सा में मिला तथा अपने हिस्सा पर काबिज दखलकार हुए तथा सरकार को लगान देकर सरकारी मालगुजारी रसीद निर्गत कराते रहे। यह कि कृष्ण जीवन उपाध्याय अपने दो पुत्र को छोड़कर मरे चन्द्रशेखर उपाध्याय तथा उमेश उपाध्याय है, जो अप ने पिता के मरने के बाद उपरोक्त वर्णित जमीन पर शांतिपूर्व काबिज दखलकार हुए तथा लगान देकर सरकारी मालगुजारी रसीद निर्गत कराते रहे वो चले आ रहे हैं। यह कि अपीलार्थी सं0 01 मानसिक बिमारी से ग्रसित हो गये तथा अपना यादास्त को खो दिया तथा बेहोसी हालत में रहने लगे, कुछ दिनों के लिए समझने का शक्ति खो दिया था, ऐसी हालत का नाजायज फायदा उठाने के दृष्टिकोण से ईलाज के बहाने अपीलार्थी सं0–01 चतरा ले आयें और निबंधन कार्यालय, चतरा में चन्द्रशेखर तिवारी गलत ढंग से ताईद को मेल में लेकर एक केवाला तैयार करा लिया। यह कि अपीलार्थी संख्या–02 को यह बात का मालूम हुआ कि चन्द्रशेखर तिवारी गलत ढंग से केवाला करवा लिये हैं, तब केवाला संख्या–4799, दिनांक–28.08.2006 का केवाला का सच्ची अभिप्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त किया और इसे रद्द करने हेतु सब–जज– प्रथम, चतरा के न्यायालय में चन्द्रशेखर तिवारी वगैरह पर वाद लाया है, जिसका स्वत्व वाद संख्या–125/2018 है, मुकदमा करने के बाद चन्द्रशेखर तिवारी ने गलत ढंग से जमीन विपक्षी सं0 02 कुन्ती देवी के नाम बिक्री कर दिया, जिसे उपरोक्त वाद में पक्षकार बनाया है और केवाला रद्द करने हेतु श्रीमान् के न्यायालय में कुन्दी देवी को पक्षकार बनाया है। कुन्ती देवी स्वत्व वाद मुकदमा लम्बित रहने के द्वारा खरीद की है, जो कानूनन

गलत है। यह कि अपीलार्थीगण अचंल अधिकारी,हंटरगंज के द्वारा पारित किया गया आदेश का सच्ची अभिप्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन दिया, परन्तु हण्टरगंज कार्यालय के कर्मचारी एवं अंचल अधिकारी, हण्टरगंज के द्वारा कहा गया कि नकल नहीं मिलता है, ऑन–लाईन निकालें, तब अपीलार्थी ऑन–लाईन आदेश का नकल प्राप्त कर अपील दाखिल कर रहे हैं। यह कि कुन्ती देवी ने चुपके तौर से हण्टरगंज कार्यालय को आवेदन दी तथा बिना खातेधारी रैयत के सूचना के बगैर ही दाखिल खारिज करवा ली है, जो सम्पति अन्तरण अधिनियम के खिलाफ है तथा रिकार्ड मेन्टेनेन्स एक्ट 1973 के नियम के खिलाफ है तथा अंचल अधिकारी, हण्टरंज ने गलत ढंग से दाखिल खारीज किया है तथा दिनांक–03.07.2020 को अचंल अधिकारी, हण्टरगंज के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी अपील निम्नलिखित आधार पर कर रहे हैं। यह कि अंचल अधिकारी, हण्टरगंज के द्वारा पारित किया गया आदेश अवैध, त्रुटिपूर्ण एवं आवेदक के दस्तावेज को वगैर अवलोकन किये हुए आदेश पारित किया गा है, जो खारिज करने के योग्य है। यह कि आवेदक का जमाबंदी विधिपूर्ण ढंग से खोला गया है, जिसका जमाबंदी अभी तक कायम होकर सरकारी मालगुजारी रसीद निर्गत हो रहा है, जो अंचल अधिकारी, हण्टरगंज के द्वारा आवेदक के पूर्वजों के नाम से चल रहे जमाबंदी को अंचल अधिकारी के द्वारा अवलोकन नहीं किया गया है। यह कि विपक्षीगण का प्रश्नगत जमीन पर किसी प्रकार का हक, अधिकारी, दखल–कब्जा नहीं है। यह कि अपीलार्थीगण के द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध स्वत्व वाद संख्या–125/2018 चन्द्रशेखर उपाध्याय वगैरह बनाम चन्द्रशेखर तिवारी वगैरह विद्वान सब–जज न्यायालय, चतरा में लंबित है। यह कि विपक्षी चन्द्रशेखर तिवारी ने स्वत्व वाद मामला लंबित रहने के दौरान विपक्षी कुन्ती देवी के नाम से नाजायज ढंग से अपीलार्थीगण की पैतृक जमीन को बिक्री कर दिया है तथा मुकदमें के दौरान दाखिल खारीज करने

हेतु विद्वान अंचल अधिकारी, हण्टरगंज के समक्ष विपक्षी कुन्ती देवी के द्वारा आवेदन दाखिल किया गया, जो उक्त वाद में अपीलार्थी को पक्षकार नहीं बनाया गया और न ही किसी प्रकार का नोटिस, आम इस्तेहार निर्गत नहीं किया गया, जो बिहार रिकार्ड टेनेन्सी एक्ट 1973 के प्रावधान के प्रतिकुल है। यह कि आवेदक अंचल अधिकारी, हण्टरगंज के द्वारा पारित आदेश दिनांक–03.07.2020 को गलत एवं अवैध ढंग से विपक्षी कुन्ती देवी के नाम से किया है, जो कोविड–19 के कारण सभी कार्यालय में कार्य बाधित थे और उस समय गलत ढंग से दाखिल खारिज कुन्ती देवी के नाम कर दिया गया, जो विधि के तहत् पोषणीय नहीं रहने के कारण खारीज करने के लायक है। यह कि अपीलार्थी के द्वारा दाखिल किया गया अपील वाद के विलम्बन को माफ करते हए़ु स्वीकार करने की कृपा की जाय। यह कि न्यायहित में विपक्षीगण को आवेदक के रैयती कायमी जमीन पर जाने या किसी प्रकार का अवैध कार्य करने से भी रोका जाय। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अंचल अधिकारी, हण्टगंज के द्वारा दिनांक–03.07.2020 को पारित किये गयो आदेश को निरस्त करने हेतु अनुरोध किया गया है।

द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता अपने लिखित अभिकथन में यह उल्लेखित किया है कि–" यह कि उक्त वाद में आवेदक द्वारा दाखिल विविध वाद कानूनन पोषणीय नहीं है, तथा खारिज के योग्य है। यह कि आवेदक द्वारा दाखिल विविध वाद में कोई सटीक ग्राउण्ड का जिक्र नहीं किया है। यह कि आवेदक संख्या 01 चन्द्रशेखर उपाध्याय पुरी स्वस्थ एवं होश में प्रश्नगत खाता प्लॉट के भूमि का विपक्षी संख्या–02 कुन्ती देवी के भेण्डर चन्द्रशेखर तिवारी के पक्ष में जमीन की बिक्री 2006 ई0 में किया गया है। यह कि चन्द्रशेखर तिवारी के द्वारा प्रश्नगत खाता नं0 175, प्लॉट नं0 948, रकवा–0.07 3/4 डी0 जमीन के बाबत निबंधित केवाला नं0 3322, दिनांक–24.08.2018 ई0 को कुन्ती देवी के पक्ष में जमीन बिक्री किया गया

तथा केवाला में वर्णित जरसम्मन का रूपया प्राप्त करने के बाद खरीदगी तिथि से दखल–कब्जा दे दिया। विपक्षी कुन्ती देवी उपरोक्त खरीदगी केवाला के आधार पर अंचल कार्यालय, हण्टरगंज में दाखिल खारीज का आवेदन पत्र दाखिल किये जिसके आधार पर राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त के पश्चात् कुन्ती देवी के पक्ष में विधिवत् दाखिल खारिज की स्वीकृति प्रदान करके शुद्धि पत्र जारी किया गया तथा सरकारी रसीद निर्गत करने का आदेश प्रदान किया तथा डिमाण्ड पंजी 2 में खरीददार कुन्ती देवी का नाम इन्द्राज करके रैयत की दर्जा की मान्यता प्रदान किया। यह कि विपक्षी संख्या 02 कुन्ती देवी के बिक्रेता चन्द्रशेखर तिवारी को प्रश्नगत भूमि निबंधित केवाला नं0 4299, दिनांक–28.08.2006 ई0 को अपीलार्थी संख्या–01 चन्द्रशेखर उपाध्याय के द्वारा चन्द्रशेखर तिवारी के पक्ष में बिक्री किया गया है तथा जरसम्मन का रूपया प्राप्त करने के बाद खरीददार चन्द्रशेखर तिवारी को दखल कब्जा दे दिया गया। उपरोक्त केवाला के आधार पर चन्द्रशेखर तिवारी के नाम से अंचल कार्यालय, हण्टरगंज से विधिवत दाखिल खारिज होकर सरकारी रसीद निर्गत हुआ तथा डिमाण्ड पंजी 2 में नाम दर्ज हुआ। यह कि अपीलार्थी का यह कहना सरासर गलत है कि अपीलार्थी संख्या–01 चन्द्रशेखर उपाध्याय मानसिक बिमारी से ग्रसित थे। यह कि विपक्षी संख्या–02 कुन्ती देवी का प्रश्नगत भूमि पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा एवं स्वामित्व अधिकार में चला आ रहा है। यह कि चन्द्रशेखर तिवारी के द्वारा प्रश्नगत भूमि खाता, प्लॉट के अन्तर्गत भूमि का निबंधित केवाला से वर्ष 2018 ई0 में विपक्षी कुन्ती देवी के पक्ष में जमीन बिक्री किया गया है तथा इनके मन में लालच एवं बेमेनस्यता के कारण यह झुठा कथन किया जा रहा है कि अपीलार्थी द्वारा नाजायज ढंग से बिक्री किया गया है, यह कहना सरासर गलत है। यह कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रश्नगत खाता के बाबत एक

टाईटल सुट का मुकदमा नं0 125/2018 सब जज-प्रथम, चतरा के न्यायालय में दाखिल किया गया है जो अभी सुनवाई के लिए तिथि लंबित है। यह कि प्रश्नगत खाता प्लॉट के अन्तर्गत मामला अभी सिविल कोर्ट, चतरा सब जज प्रथम के न्यायालय में लंबित है ऐसी परिस्थिति में विद्वान न्यायालय द्वारा अपीलार्थी का यह विविध वाद पोषणीय नहीं है तथा खारिज करने के लायक है। द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अपीलार्थी द्वारा दाखिल विविध वाद को खारिज करने हेतु अनुरोध किया गया है।

अचंल अधिकारी, हण्टरगंज द्वारा अपने पत्रांक-755, दिनांक-20.08.2022 द्वारा उपलब्ध कराये गये जांच प्रतिवेदन में उल्लेखित किया है कि-चन्द्रशेखर उपाध्याय, पिता-स्व0 कृष्णजीवन उपाध्याय, साकिन मौजा-जोरीकला, थाना-वशिष्टनगर जोरी, जिला-चतरा ने मौजा-जोरीकला, थाना संख्या-150 के अंतर्गत खाता संख्या-175, प्लॉट सख्या-948, कुल रकवा-0.31 ए0 मधे रकवा-0.7 3/4 ए0 भूमि का बिक्री किया जिसका केवाला संख्या 4799 दिनांक 28.08.2006 के चन्द्रशेखर तिवारी पिता रामप्रसाद तिवारी साकिन कुटुम्बा जिला औरंगाबाद ने खरीद किया इसके पश्चात् क्रेता चन्द्रशेखर तिवारी के नाम से मौजा जोरीकला के खाता संख्या 175 प्लॉट संख्या 948 रकवा 0.7 3/4 ए0 भूमि का दा0खा0 वाद संख्या 285/16-17 से दाखिल खारिज होकर पंजी 2 के पृ0सं0 35/13 पर जमाबंदी कायम होकर लगान रसीद निर्गत होता रहा। इसके पश्चात् चन्द्रशेखर तिवारी ने क्रय की गई भूमि मौजा जोरी कला खाता संख्या 175 प्लॉट संख्या 948, रकवा 0.7 3/4 ए0 भूमि को बिक्री कुन्ति देवी पति बासुदेव यादव ग्राम सलैया थाना वशिष्टनगर जोरी जिला चतरा केवाला संख्या 3322 दिनांक 24.08.2018 को बिक्री किया गया। तत्पश्चात् कुन्ति देवी पति बासुदेव यादव के नाम से ऑनलाईन दा0खा0 वाद संख्या 31 दिनांक 03.07.20 को हुई जो पंजी 2 के पृ0सं0 15/55 पर कायम होकर लगान

रसीद निर्गत हो रहा है। स्थल निरीक्षण किया जिसमें क्रेता कुन्ति देवी पति बासुदेव यादव का उक्त भूमि पर आवासीय मकान है शेष भूमि पर चाहरदिवारी है एवं दखल–कब्जा है। क्रय की गई भूमि पर क्रेता कुन्ति देवी का खाता संख्या 175 प्लॉट संख्या 948 रकवा 0.7 3/4 ए0 भूमि पर स्वामित्व अधिकार प्राप्त होने के आलोक में इस कार्यलय से दाखिल खारिज की प्रक्रिया पूरी की गई है। राजस्व कर्मचारी के द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा जोरी के खाता संख्या 175 प्लॉट संख्या 948 रकवा 0.7 3/4 ए0 का क्रय कुन्ति देवी पति बासुदेव यादव ग्राम सलैया ने निबंधित केवाला सख्या 3322 दिनांक 24.08.2020 से चन्द्रशेखर तिवारी पिता रामप्रसाद तिवारी ग्राम कुटुम्बा जिला औरंगाबाद से किया है। भूमि क्रय के पश्चात् क्रेता कुन्ति देवी पति बासुदेव यादव प्रतिवेदित भूमि पर दखल काबिज होकर अपना आवासीय मकान बनाये हुए है क्रेता कुन्ति देवी पति बासुदेव यादव को क्रय की गई भूमि पर दखल कब्जा पाये जाने के कारण इस कार्यालय से दा0ख0वाद सख्या 31/03.07.2020 के तहत् क्रेता के नाम दाखिल खारिज की स्वीकृति दी गई।

उपरोक्त संबंधित पक्ष के द्वारा समर्पित लिखित कथन, समर्पित कागजात, अंचल अधिकारी, हण्टरगंज से प्राप्त जांच प्रतिवेदन तथा अभिलेख में उपलब्ध अन्य कागजातों के आधार निम्नांकित बिन्दु परिलक्षित होते है :–

1. खतियानी भूमि का मामला।
2. प्रथम पक्ष के द्वारा खतियानी रैयत के वंशज होने के आधार पर भूमि प्राप्त होने का दावा।
3. द्वितीय पक्ष दोनों के द्वारा केवाला से भूमि प्राप्त होने का दावा।
4. माननीय सिविल कोर्ट, चतरा के समक्ष दायर टाईटल सुट वाद संख्या–125/2018

1. खतियानी भूमि का मामला:– **प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने अपने लिखित कथन में उल्लेखित किया है कि** –''यह है कि साकिन मौजा–जोरी कला, थाना–वशिष्टनगर, जोरी, जिला–चतरा के अन्दर खाता

नं0–175, प्लॉट संख्या–948, रकवा–31 डी0 जमीन अपीलार्थी संख्या–01 के दादा शिवभजन उपाध्याय के नाम से सर्वे खतियानी जमीन है।''

2. प्रथम पक्ष के द्वारा खतियानी रैयत के वंशज होने के आधार पर भूमि प्राप्त होने का दावा :– **प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता अपने लिखित अभिकथन में यह उल्लेखित किया है कि–**''यह है कि साकिन मौजा–जोरी कला, थाना–वशिष्टनगर, जोरी, जिला–चतरा के अन्दर खाता नं0 175, प्लॉट संख्या–948, रकवा–31 डी0 जमीन अपीलार्थी संख्या–01 के दादा शिवभजन उपाध्याय के नाम से सर्वे खतियानी जमीन है, जो अपने जीवन काल तक अपने रैयती जमीन पर फसल लगाकर अपने मशरफ में लाते रहे। यह कि अपीलार्थी संख्या–01 के दादा शिवभजन उपाध्याय अपने दो पुत्र कृष्ण जीवन उपाध्याय, देवकांत उपाध्याय हुए, अपने पिता के मरने बाद शांतिपूर्वक काबिज दखलकार हुए तथा जमीन्दारी उन्मुलन के बाद कृष्ण जीवन उपाध्याय के नाम से डिमाण्ड खुलवाकर सरकार के लगान देकर सरकारी मालगुजारी रसीद निर्गत होते रहा। यह कि कृष्णजीवन उपाध्याय एवं देवकांत उपाध्याय के बीच आपस में सहमति से मौखिक रूप से बँटवारा कर लिया। खाता संख्या–175, प्लॉट संख्या–948, रकवा–31 डी0 मध्ये 15 1/2 डी0 जमीन आवेदक अपीलार्थी संख्या–01 के पिता जी को हिस्सा में मिला तथा अपने हिस्सा पर काबिज दखलकार हुए तथा सरकार को लगान देकर सरकारी मालगुजारी रसीद निर्गत कराते रहे। यह कि कृष्ण जीवन उपाध्याय अपने दो पुत्र को छोड़कर मरे चन्द्रशेखर उपाध्याय तथा उमेश उपाध्याय है, जो अपने पिता के मरने के बाद उपरोक्त वर्णित जमीन पर शांतिपूर्व काबिज दखलकार हुए तथा लगान देकर सरकारी मालगुजारी रसीद निर्गत कराते रहे वो चले आ रहे हैं।''

3. द्वितीय पक्ष दोनों के द्वारा केवाला से भूमि प्राप्त होने का दावा:– **द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता अपने लिखित अभिकथन में यह**

उल्लेखित किया है कि–''यह कि आवेदक संख्या 01 चन्द्रशेखर उपाध्याय पुरी स्वस्थ एवं होश में प्रश्नगत खाता प्लॉट के भूमि का विपक्षी संख्या–02 कुन्ती देवी के भेण्डर चन्द्रशेखर तिवारी के पक्ष में जमीन की बिक्री 2006 ई0 में किया गया है। यह कि **चन्द्रशेखर तिवारी के द्वारा प्रश्नगत खाता नं0 175, प्लॉट नं0 948, रकवा–0.07 3/4 डी0 जमीन के बाबत निबंधित केवाला नं0 3322, दिनांक–24.08.2018 ई0 को कुन्ती देवी के पक्ष में जमीन बिक्री किया गया** तथा केवाला में वर्णित जरसम्मन का रूपया प्राप्त करने के बाद खरीदगी तिथि से दखल–कब्जा दे दिया।'' अंचल अधिकारी, हण्टरगंज द्वारा अपने जांच प्रतिवेदन में उल्लेखित किया गया है कि–''चन्द्रशेखर तिवारी ने क्रय की गई भूमि मौजा जोरी कला खाता संख्या 175 प्लॉट संख्या 948, रकवा 0.7 3/4 ए0 भूमि को बिक्री कुन्ति देवी पति बासुदेव यादव ग्राम सलैया थाना वशिष्टनगर जोरी जिला चतरा केवाला संख्या 3322 दिनांक 24.08.2018 को बिक्री किया गया। तत्पश्चात् कुन्ती देवी पति बासुदेव यादव के नाम से ऑनलाईन दा0खा0 वाद संख्या 31 दिनांक 03.07.20 को हुई जो पंजी 2 के पृ0सं0 15/55 पर कायम होकर लगान रसीद निर्गत हो रहा है।''

5. माननीय सिविल कोर्ट, चतरा के समक्ष दायर टाईटल सुट वाद सख्या–125/202018 :– **प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता अपने लिखित अभिकथन में यह उल्लेखित किया है कि**–''यह कि अपीलार्थी सं0 01 मानसिक बिमारी से ग्रसित हो गये तथा अपना यादास्त को खो दिया तथा बेहोसी हालत में रहने लगे, कुछ दिनों के लिए समझने का शक्ति खो दिया था, ऐसी हालत का नाजायज फायदा उठाने के दृष्टिकोण से ईलाज के बहाने अपीलार्थी सं0–01 चतरा ले आयें और निबंधन कार्यालय, चतरा में चन्द्रशेखर तिवारी गलत ढंग से ताईद को मेल में लेकर एक केवाला तैयार करा लिया। यह कि अपीलार्थी संख्या–02 को यह बात का मालूम हुआ कि

चन्द्रशेखर तिवारी गलत ढंग से केवाला करवा लिये हैं, तब केवाला संख्या–4799, दिनांक–28.08.2006 का केवाला का सच्ची अभिप्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त किया और इसे रद्द करने हेतु सब–जज– प्रथम, चतरा के न्यायालय में चन्द्रशेखर तिवारी वगैरह पर वाद लाया है, जिसका स्वत्व वाद संख्या–125/2018 है, मुकदमा करने के बाद चन्द्रशेखर तिवारी ने गलत ढंग से जमीन विपक्षी सं0 02 कुन्ती देवी के नाम बिक्री कर दिया, जिसे उपरोक्त वाद में पक्षकार बनाया है और केवाला रद्द करने हेतु श्रीमान् के न्यायालय में कुन्दी देवी को पक्षकार बनाया है। कुन्ती देवी स्वत्व वाद मुकदमा लम्बित रहने के द्वारा खरीद की है, जो कानूनन गलत है।'' साथ ही साथ **द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता अपने लिखित अभिकथन में यह** उल्लेखित **किया है कि**–''यह कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रश्नगत खाता के बाबत एक टाईटल सुट का मुकदमा नं0–125/2018 सब जज–प्रथम, चतरा के न्यायालय में दाखिल किया गया है जो अभी सुनवाई के लिए तिथि लंबित है। यह कि प्रश्नगत खाता प्लॉट के अन्तर्गत मामला अभी सिविल कोर्ट, चतरा सब जज प्रथम के न्यायालय में लंबित है ऐसी परिस्थिति में विद्वान न्यायालय द्वारा अपीलार्थी का यह विविध वाद पोषणीय नहीं है तथा खारिज करने के लायक है।''

उपरोक्त तथ्यों से पता चलता है कि प्रश्नगत भूमि से संबंधित अंचल अधिकारी, हण्टरगंज द्वारा निबंधित सेल डीड के आधार पर दाखिल खारिज को स्वीकृत किया गया है। दाखिल खारिज के संबंध में फैसला देने से निबंधित सेल डीड भी प्रभावित होगा। साथ ही साथ अंचल अधिकारी, हण्टरगंज द्वारा जांच प्रतिवेदन में यह अंकित किया गया है कि–''चन्द्रशेखर उपाध्याय, पिता–स्व0 कृष्णजीवन उपाध्याय, साकिन मौजा–जोरीकला, थाना–वशिष्टनगर जोरी, जिला–चतरा ने मौजा–जोरीकला, थाना संख्या–150 के अंतर्गत खाता संख्या–175, प्लॉट सख्या–948, कुल रकवा–0.31 ए0 मधे

रकवा–0.7 3/4 ए0 भूमि का बिक्री किया जिसका केवाला संख्या 4799 दिनांक 28.08.2006 के चन्द्रशेखर तिवारी पिता रामप्रसाद तिवारी साकिन कुटुम्बा जिला औरंगाबाद ने खरीद किया इसके पश्चात् क्रेता चन्द्रशेखर तिवारी के नाम से मौजा जोरीकला के खाता संख्या 175 प्लॉट संख्या 948 रकवा 0.7 3/4 ए0 भूमि का दा0खा0 वाद संख्या 285/16–17 से दाखिल खारिज होकर पंजी 2 के पृ0सं0 35/13 पर जमाबंदी कायम होकर लगान रसीद निर्गत होता रहा। इसके पश्चात् चन्द्रशेखर तिवारी ने क्रय की गई भूमि मौजा जोरी कला खाता संख्या 175 प्लॉट संख्या 948, रकवा 0.7 3/4 ए0 भूमि को बिक्री कुन्ति देवी पति बासुदेव यादव ग्राम सलैया थाना वशिष्टनगर जोरी जिला चतरा केवाला संख्या 3322 दिनांक 24.08.2018 को बिक्री किया गया। तत्पश्चात् कुन्ति देवी पति बासुदेव यादव के नाम से ऑनलाईन दा0खा0 वाद संख्या 31 दिनांक 03.07.20 को हुई जो पंजी 2 के पृ0सं0 15/55 पर कायम होकर लगान रसीद निर्गत हो रहा है।" यह मामला स्वत्व से संबंधित है तथा साथ ही साथ प्रश्नगत भूमि से संबंधित माननीय न्यायालय में दायर टाईटल सुट का मुकदमा नं0–125/2018 माननीय सब जज–I, चतरा के समक्ष विचाराधीन है। अतः इस न्यायालय से कोई फैसला देना उचित प्रतीत नहीं होता हैं। अतः आवेदक का विविध वाद से संबंधित आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। माननीय न्यायालय से आदेश पारित होने के उपरांत संबंधित पक्ष प्रभावित होंगे।

वाद की प्रक्रिया समाप्त की जाती है।

(लेखापित एवं संशोधित)

28/12/2022
भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
चतरा।

28/12/2022
भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
चतरा।

Digitally signed by GOURANG MAHATO
Date: 2023.08.27 22:31:04 -07:00
Location: 2409:40e4:4:79c2:1d4a:4371:ae07:e693